न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी द्वितीय, बगहा, प0 चम्पारण।
उपस्थितः— श्री अविनाश कुमार
विचारण वाद संख्या—2550/2026
जी.आर. संख्या—371/2026
बथवरिया थाना काण्ड संख्या—24/2026
राज्य बनाम हिरामन महतो एवं अन्य

30.06.2026 अभियुक्तगण 1. हिरामन महतो 2. सनोज महतो 3. सुनिल महतो 4. मनोज महतो 5. गुन्ना देवी की हाजरी हैं तथा पूर्व जमानत पर रहने की अनुमति हेतु आवेदन दिया गया, जिसे स्वीकृत किया जाता है। पुकार पर अभियुक्तगण अपने अधिवक्ता के साथ उपस्थित हुए। धारा 230 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अनुपालन में पुलिस पेपर एवं अन्य सामग्री अभियुक्तगण की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता को प्राप्त कराई गई।

अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत मामले में दिनांक 04.05.2026 को अन्तर्गत धारा —126(2),115(2),118(1),117(2),109,352,351(2)/3(5) भारतीय न्याय संहिता के तहत संज्ञान लिया गया है, जिसमें धारा 109 भारतीय न्याय संहिता अन्यतः सत्र न्यायालय के द्वारा विचारणीय है परिणामतः अभिलेख को सत्र न्यायालय, पश्चिम चम्पारण, बेतिया को दौरा सुपुर्द किया जाता है। कार्यालय लिपिक लोक अभियोजक को दौरा सुपुर्दगी अधिसूचित करें।

अभियुक्तगण दिनांक 30.07.2026 को सत्र न्यायालय के समक्ष सदेह उपस्थित रहेंगे।

लेखापित

Sd./
अ.मु.न्या.दण्डा. द्वितीय